Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to recover leased Government land lying unutilised in Satna district, Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, औद्योगिक विकास के लिए राज्य की सरकारें लीज पर जमीन उपलब्ध कराती हैं, जिन शर्तों के आधार पर जिस कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाती है, उसका उपयोग सही कार्यों के लिए हो रहा है या नहीं, उसकी जाँच करानी चाहिए । जैसे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में स्थापित बिरला सीमेंट कंपनी, प्रिज्म सीमेंट, के.जे.एस. सीमेंट, यूनिवर्सल केविल्स, जे.पी. बाबूपुर, मैहर सीमेंट सरलानगर तथा ए.सी.सी. सीमेंट कंपनी कैमोर जिला कटनी की स्थापना के लिए जितनी जमीन लीज में दी गई है, उसमें अनुपयोगी जमीन पर जबरन कब्जा है, उसे कंपनियों से वापस ले लेना चाहिए । बिरला जूट एंड मैन्युफैक्चर कंपनी सीमेंट डिपो को 99 साल के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सन् 1956 में लगभग हजारों एकड़ जमीन को लीज पर दिया था ।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में बनाए गए भू-अर्जन कानून के तहत जिस जमीन का अभी तक जिस उद्देश्य के लिए लीज दी गई थी, यदि उसका उपयोग नहीं किया गया तो वह जमीन वापस ली जा सकती है । सतना जिले में बिरला सीमेंट ने अभी तक सीमेंट प्लांट लगा लिया, आवास बना लिया, अस्पताल/स्कूल/खेल मैदान/क्वार्टर/बाजार आदि सब बना लिया, शेष जमीन में मात्र बाउंड्री बनाकर जबरन कब्जा कर रखा है, शहर का विकास रूका हुआ है, स्मार्ट सिटी की घोषणा है, उसके लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती रहती है ।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि जिस उद्योग के लिए उक्त कंपनियों को जमीन लीज पर दी गई थी, उसकी जांच करा ली जाए तथा शेष खाली जमीन वापस ली जाए ताकि जनहित में सार्वजनिक कार्यक्रमों के

लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए जमीन का सदुपयोग हो सके ।
धन्यवाद ।